



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या -1843-अ0प्र0-07/पाकालि/16-22-अ0प्र0-07/15

दिनांक 30/03/2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा 3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 में निर्दिष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-2608/2011 एवं समविषयक सहबद्ध अन्य अपीलस में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय में Ultra Vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 के माध्यम से अंगीकृत किये जाने के उपरान्त पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-3196-अ0प्र0-07, दिनांक 07.12.2015 एवं सं0-581-अ0प्र0-07, दिनांक 20.02.2016 द्वारा भूतलक्षीय प्रभाव से अवर अभियन्ता के पद पर पदावनत किया गया था।

2. उपरोक्त सन्दर्भित कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.12.2015 द्वारा श्री अरविन्द कुमार (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7573) (पूर्व में आवंटित अभि0 सं0-2003118) एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.02.2016 द्वारा श्री अजय कुमार (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7741) (पूर्व में आवंटित अभि0 सं0-2010036) के सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पुनर्चयन के सम्बन्ध में लगाया गया प्रतिबन्ध पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से, एतद्वारा सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

40% प्रोन्नति कोटा-वैद्युत एवं यांत्रिक

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम /श्रेणी /प्रोन्नति कोटा/वरि0क्र0 सर्वश्री	पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या	कारपो0आ0 सं0-3196-अ0प्र0-07, दि0 07.12.15 एवं सं0-581-अ0प्र0-07, दिनांक 20.02.2016 के निर्गमन पश्चात् पदनाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गई प्रोन्नति का पदनाम/तिथि	नव आवंटित अभिज्ञान संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अरविन्द कुमार (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7573)	2003118	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता / 11.05.2012	20123622003118
2	अजय कुमार (अनु0जा0) (प्रो0-40%-7741)	2010036	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता / 05.06.2012	20123632010036

इस आदेश के निर्गमन के पश्चात् स्तम्भ-3 में अंकित पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या निष्प्रभावी हो जाएगी, परन्तु इस अभिज्ञान संख्या के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय सतर्कता जांच/राज्य सतर्कता जांच प्रचलित हो अथवा कोई दण्ड प्रदान किया गया हो तो उसे स्तम्भ-6 में अंकित नव आवंटित अभिज्ञान संख्या के विरुद्ध यथावत प्रभावी माना जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-1843-अ0प्र0-07/पाकालि/2016/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव (अ0प्र0-01/02/अनु0कार्य0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त अधिकारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
9. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।
12. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव